भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार के तत्वावधान में प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला

घर या प्लॉट खरीदने से पहले कर लें रेरा निबंधन की जांच : अध्यक्ष

दरभंगा, नगर संवाददाता। घर या प्लॉट खरीदने वालों को किसी भी भू-संपदा परियोजना में रुपये लगाने से पहले रेरा निबंधन की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित प्रमंडल स्तरीय संवेदीकरण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने ये बातें कहीं।

बैठक में शनिवार को उपस्थित रेरा के अध्यक्ष व अन्य अधिकारी।

उन्होंने कहा कि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए रेरा निबंधन के बिना राशि लगा देते हैं। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं के घर अथवा प्लॉट के निबंधम पर भी रोक लगायी जा सकती है। ऐसा होने पर खरीदार की राशि फंस सकती है। कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं में प्राप्त सुझाओं से रेरा को भी फायद होता है एवं जिलों की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है। इससे आगे उठाये जाने वाले क्रदमों में मदद मिलती है।

उन्होंने दरभंगा प्रमंडल के जिलों के जिला, पुलिस एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रेरा, बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि आम लोगों का विश्वास रेरा आने से बढ़ा एवं अब इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के सभी जिले रेरा, बिहार की अपेक्षा के अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे। मिथिला प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि रेरा कानून के विषय में प्रचार-प्रसार बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपनी कमाई का बड़ा भाग घर खरीदने में लगा देते हैं। उन्होंने रेरा बिहार के वेबसाइट को और सरल बनाने का आग्रह भी किया।

डीएम कौशल कुमार ने कहा कि वे सभी सीओ को यह निदेश देंगे की रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों के विषय में नियमित रूप से रिपोर्ट दें, ताकि उनपर यथोचित कार्रवाई की जा सके। समस्तीपुर के डीडीसी सूर्यप्रताप सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्यशाला जिला स्तर पर भी आयोजित होनी चाहिए। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा कि आगे से ऐसी शिकायतों को रेरा तक पहुंचा दिया जाएगा।

- भू-संपदा की रजिस्ट्री पर लग सकती रोक
- फंस सकती है खरीदार की निवेशित राशि

गौरतलब है कि रेरा, बिहार ने क्षेत्रीय पदाधिकारियो की सुविधा के लिए प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम एवं एसएसपी को यह सुविधा दी है कि अगर उन्हें किसी पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत प्राप्त होती है तो वे इसे रेरा के पोर्टल पर प्राधिकरण को भेज सकते हैं, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। रेरा, बिहार की टीम ने पीपीटी के माध्यम से प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के 25 नगर निकायों के अधिकारियों सहित तीनों जिले के जिला उप निबंधक शामिल हुए।